

संख्या- 2919 /15-7- 05 -16 33 1/2005

प्रकाश,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समूहायकेन्द्र,
पी. टी. विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 170 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 29 जून,

विषय:- शकुन्तला सेण्ट्रल एकेडमी सिविल लाइन्स जौनपुर को सी.बी.ई.सी.ई.ओ. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कडने का अनुरोध हुआ है कि उक्त संयुक्त विद्यालय को सी.बी.ई.सी.ई.ओ. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सौतापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
 2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों/छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ.प्र.भा. शिक्षा परिषद द्वारा संबद्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- अन्य बातें जो राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा भारत शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फोर दि इण्डियन स्कूल स्टीफिकेट इकायिनिश नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा तंत्र से उक्त केन्द्रीय परीक्षा को संबद्धता प्राप्त करने की तिथि से उपरोक्त विद्यालय परिषद द्वारा प्रदत्त सहायता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सहायता भी जायेगा ।



MANAGER
SHAKUNTALA CENTRAL ACADEMY
CIVIL LINES, JAUNPUR

- 158 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणात्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 168 कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायीं जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 178 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 188 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 198 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की यूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

शिव प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव ।

पृ०संख्या एवं दिनांक तद्वैव

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, शाकुन्तला सेण्ट्रल एकेडमी, सिविल लाइन्स, जौनपुर ।
- 6- सार्ड सुक ।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव ।